उज्जीवन स्मॉल फाइनैन्स बैंक
बनाऐं एक बेहतर जीवन

गोल्ड लोन ऐप्लिकेशन फॉर्म

(सी.आई.एन.: L65110KA2016PLC142162)

मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड ("बैंक") से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, मेरे स्वामित्व वाले सोने के आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण देने का अनुरोध करता/करती हूँ।

दिनांक:	शाखा का नाम:	रेफरल स्टाफ आईडी:
सी.आई.एफ. आईडी:	ग्राहक प्रकार: मौजूदा/नया	आवेदक का नाम:

ग्राहक की फोटो

निजी विवरण:

पिता का नाम:	माँ का नाम:	आवेदक की जन्म दिनांक :
लिंग:	वैवाहिक स्थिति:	पति/पत्नी का नाम:
स्थायी पता:		
वर्तमान पता:		

के.वाई.सी. विवरण:

पैन:		सी.के.वाई.सी. संख्या:	
	पहचान का प्रमाण	स्थायी पते का प्रमाण	वर्तमान पते का प्रमाण
दस्तावेज़ का नाम			
दस्तावेज़ संख्या			
समाप्ति दिनांक			

ग्राहक प्रोफ़ाइल:

पेशा:	धर्म	श्रेणी:
शैक्षणिक योग्यता:	आय (प्रति वर्ष):	राजनीतिक पद प्राप्त व्यक्ति:

ऋण विवरण:

ऋण राशि:	ऋण अवधि:	ब्याज दर:	नवीनीकरण विधि:
प्रोसेसिंग शुल्क:	प्रीक्लोज़र शुल्क:	दंड शुल्क:	स्टाम्प ड्यूटी:
अस्वीकृति शुल्क:	मूल्यांकन शुल्क:	संवितरण विधि:	पुनर्भुगतान विधि:
बैंक खाता संख्या:	बैंक का नाम:	खाता धारक का नाम:	ऋण का उद्देश्य:
*कृषि उद्देश्य के लिए	भूमि क्षेत्रफल (एकड़ में)	पट्टा संख्या/ खसरा संख्या (वैकल्पिक)	
*कृषि संबंधी गतिविधियों के उद्देश्य के लिए	श्रेणी	उपश्रेणी	

नामांकन विवरण: मैं अपनी मृत्यु की स्थिति में बैंक द्वारा गिरवी रखे गए सोने को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति को नॉमिनी बनाता/बनाती हूँ। बकाया ऋण राशि का पूरा भुगतान करने और बैंक के पास अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर बैंक इस व्यक्ति को गिरवी रखा सोना वापस कर सकता है।

नॉमिनी का नाम:	नॉमिनी की जन्म दिनांक:	मेरे साथ संबंध (यदि कोई हो):	
नॉमिनी का पता:			
अभिभावक का नाम:	अभिभावक के साथ नाबालिग के संबंध (यदि कोई हो):	अभिभावक का पता:	
नॉमिनी का पता:		दिनांक:	स्थान:

(*यदि नॉमिनी नाबालिग है, तो भरें: चूंकि इस दिनांक पर नॉमिनी नाबालिग है, इसलिए मैं (अभिभावक) नियुक्त करता/करती हूँ)

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि यह नॉमिनेशन मेरे द्वारा की गई किसी भी अन्य व्यवस्था का स्थान लेता है, चाहे वह वसीयत के माध्यम से हो या अन्यथा। बैंक को दी गई किसी भी बकाया राशि के पूर्ण पुनर्भुगतान के बाद, नॉमिनी को बैंक के पास गिरवी रखे गए सोने को प्राप्त करने का विशेष अधिकार होगा। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि इस वापसी पर, बैंक को किसी भी अन्य दायित्व से निर्मुक्त और मुक्त कर दिया जाएगा।

संस्करण_जनवरी 24

ग्राहक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	गवाह 1 (यदि अंगूठे का निशान लगाया है हस्ताक्षर:	गवाह 2 (यदि अंगूठे का निशान लगाया है
	नाम:	नाम:
	पता:	पता:

इस दस्तावेज़ के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी/डेटा के अलावा, बैंक के रिकॉर्ड/डोमेन में पहले से उपलब्ध मेरे विवरण/क्रेडेंशियल्स/जानकारी का उपयोग आवेदित ऋण की प्रोसेसिंग के लिए किया जा सकता है। यदि बैंक को पहले से प्रस्तुत मेरे विवरण/क्रेडेंशियल्स/जानकारी में कोई परिवर्तन होता है/घटित होता है, तो मैं बैंक को अपनी अपडेट की गई जानकारी/डेटा अलग फॉर्म के माध्यम से या बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके से जमा करने का वचन देता/देती हूँ। (इसे नियम और शर्तों में शामिल किया जा सकता है)

घोषणाएं तथा नियम और शर्तें:

मैं इस प्रकार सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूँ, घोषित करता/करती हूँ, बताता/बताती हूँ, अधिकृत करता/करती हूँ, वचन देता/देती हूँ और सहमत हूँ:

1) ये घोषणाएं तथा नियम और शर्तें ("नियम और शर्तें") मेरे और उज्जीवन स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड (CIN: L65110KA2016PLC142162) ("बैंक") के बीच अनुबंध बनाते हैं।

2) मंजूरी पत्र या बाद के संचार में निर्दिष्ट कुल राशि तक ऋण के लिए आवेदन करते हुए, उपयोग करते हुए और/या उपयोग जारी रखते हुए (मौजूदा ऋण की किसी भी सीमा वृद्धि, कटौती या रोलओवर सहित), मैं सहमत हूँ कि मैं, अपने कानूनी प्रतिनिधियों, निष्पादकों, प्रशासकों और उत्तराधिकारियों के साथ, ऋण को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों, शुल्कों और फीस का पालन करूंगा/करूंगी और उनसे बंधा रहूंगा/बंधी रहूंगी। इसमें बैंक द्वारा किए गए कोई भी परिवर्तन, बदलाव या संशोधन शामिल हैं, जिन्हें बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (www.ujjivansfb.in) और/या किसी भी शाखा में प्रकाशित किया जाएगा।

3) मैं जानता/जानती हूँ और स्वीकार करता/करती हूँ कि ऋण की मंजूरी बैंक के विवेक पर निर्भर है, इसलिए बैंक बिना कोई कारण बताए ऋण आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, और बैंक मेरी आगामी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है।

4) स्वीकृत होने पर मैं लागू नियमों और शर्तों का पालन करते हुए, अपने स्वामित्व वाले सोने के आभूषणों ("गोल्ड सिक्योरिटी") को गिरवी रखकर ऋण उधार लूंगा/लूंगी। मैं अपने खर्च पर, बैंक को सेवाओं का उपयोग करने और गोल्ड सिक्योरिटी ("मूल्यांकन रिपोर्ट") के मूल्य, गुणवत्ता और शुद्धता का निर्धारण करने के लिए किसी विशेषज्ञ, मूल्यांकक या परखकर्ता की सलाह पर भरोसा करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ। बैंक द्वारा निर्धारित परिणामी ऋण राशि अंतिम और मेरे लिए बाध्यकारी होगी। कुछ निश्चित सीमा से ऊपर के ऋणों के संबंध में बैंक को एक से अधिक विशेषज्ञ या मूल्यांकनकर्ता या परीक्षक से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने की अनुमति है।

5) मैं गोल्ड सिक्योरिटी पर पहला और विशेष शुल्क बैंक के पास गिरवी रखकर, इसे ऋण की पूरी अवधि के लिए बैंक द्वारा रखे जाने वाले एक सीलबंद पैकेट में जमा करके स्थापित करूंगा/करूंगी। गोल्ड सिक्योरिटी अन्य सभी धनराशियों के लिए भी सिक्योरिटी होगी जो मेरे द्वारा बैंक को किसी भी खाते पर, चाहे वर्तमान या भविष्य में देय हों, जिसमें उधारकर्ता या ज़मानतदार या सह-बाध्यकर्ता के रूप में बैंक के प्रति मेरी कोई अन्य देनदारी (किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से या अलग-अलग) शामिल है। बैंक को गोल्ड सिक्योरिटी पर किसी भी व्यक्ति द्वारा दावा किए गए किसी भी शुल्क या ग्रहणाधिकार या भार को पहचानने की आवश्यकता नहीं है। बैंक द्वारा गोल्ड सिक्योरिटी स्वीकार करने मात्र का मतलब यह नहीं है कि बैंक ने इसकी शुद्धता या स्रोत या स्वामित्व की पुष्टि या स्वीकार कर लिया है। मैं बैंक को मेरे द्वारा दिए गए सभी बकाया का भुगतान किए बिना गोल्ड सिक्योरिटी जारी करने की मांग नहीं करूंगा/करूंगी। मुझे पता है कि मैं गोल्ड सिक्योरिटी की आंशिक निर्मुक्ति की मांग करने का/की हकदार नहीं हूँ।

6) मैं केवल इसलिए कोई आपत्ति नहीं उठाऊंगा/उठाऊंगी या अपने किसी भी दायित्व से मुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी क्योंकि वितरित ऋण राशि आवेदन की गई राशि से कम है। स्वीकृत होने पर भी बैंक को ऋण वितरित करने की आवश्यकता नहीं है, और/या संवितरण को प्रतिबंधित कर सकता है, जब तक कि मैं लागू नियमों और शर्तों का पालन नहीं करता/करती। ऋण खाता क्रेडिट के माध्यम से या बैंक के विवेक पर ऐसे अन्य अनुमत मोड के माध्यम से वितरित किया जा सकता है।

7) मैं ऋण का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करूंगा/करूंगी जिसके लिए यह आवेदन किया गया है। यदि ऋण कृषि या संबद्ध उद्देश्यों के लिए लिया गया है, तो मैं इस बात का सबूत देने के लिए कि मैं कृषि और/या संबद्ध गतिविधियां करता हूँ, बैंक द्वारा निर्धारित सहायक दस्तावेज़ बैंक को प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।

8) यदि मुझे मौजूदा ऋण की सीमा में वृद्धि या कमी, या रोलओवर की ज़रूरत पड़ी, तो मौजूदा ऋण के तहत बकाया राशि (यदि कोई हो) का भुगतान मेरे द्वारा स्वयं के फंड या स्वयं के स्रोतों से किया जाएगा।

9) यदि बैंक सीमा में वृद्धि या कमी करने, या मौजूदा ऋण को रोलओवर करने के लिए सहमत है, तो मैं समय-समय पर संशोधित, दोहराए गए, पूरक और/या संशोधित नियमों और शर्तों के अधीन ऋण चुकाऊंगा/चुकाऊंगी/परिशोधन करूंगा/करूंगी। इसके अतिरिक्त, गोल्ड सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी के रूप में काम करेगी और किसी भी वृद्धि, सीमा में कटौती या रोलओवर सहित ऋण के लिए सिक्योरिटी के रूप में काम करती रहेगी।

10) बैंक, मंजूरी पत्र जारी होने के बाद किसी भी चरण में, अपने विवेक से (बिना कोई कारण बताए), ऋण वापस ले सकता है और/या ऋण (पूर्ण या आंशिक रूप से) रद्द कर सकता है।

11) (i) ऋण को ब्याज और शुल्क/लागत सहित, मंजूरी पत्र में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार नियत तारीख पर चुकाया जाएगा। (ii) यदि किसी चुकौती की देय दिनांक सार्वजनिक अवकाश के दिन पड़ती है (परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 25 में परिभाषित दूसरे शनिवार, चौथे शनिवार, रविवार या सार्वजनिक अवकाश सहित), या किसी ऐसे दिन जब बैंक संबंधित समाशोधन गृह में व्यवसाय के लिए बंद होते हैं या बैंक के व्यवसाय के स्थान पर जहां ऋण खाता रखा जाता है। पुनर्भुगतान अगले व्यावसायिक दिन पर किया जाएगा (अर्थात, सार्वजनिक अवकाश के अलावा कोई अन्य दिन जब बैंक और अन्य बैंक उस स्थान पर व्यवसाय के लिए खुले हों जहां ऋण खाता रखा गया है)। (iii) मैं बैंक को भुगतान प्राप्त होने पर, उसके बाद नियत दिनांक/दिनांकईन पर भुगतान जमा करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ (प्राप्ति के तरीके की परवाह किए बिना)। मैं बैंक को इसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई करूंगा/करूंगी।

12) मैं जानता हूं और स्वीकार करता/करती हूँ कि ऋण पर देय ब्याज की गणना बैंक की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी। वास्तविक ब्याज दर में या तो फंड की सीमांत लागत-आधारित उधार दर (एम.सी.एल.आर.) या बाहरी बेंचमार्क उधार दर (ई.बी.एल.आर.) शामिल होगी, जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है, साथ ही एक लागू स्प्रेड भी शामिल होगा। इस स्प्रेड की गणना बैंक द्वारा अपने स्थापित दिशानिर्देशों और नीतियों के आधार पर की जाती है, जो प्रत्येक उधारकर्ता के जोखिम भार पर विचार करते हैं, और उधारकर्ताओं के बीच भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक ब्याज दर एम.सी.एल.आर. या ई.बी.एल.आर. में स्प्रेड जोड़कर निर्धारित की जाती है।

13) यदि मैं ऋण के तहत बकाया राशि के पुनर्भुगतान में चूक करता/करती हूँ या देरी करता/करती हूँ, तो मैं बैंक द्वारा निर्धारित विलंब भुगतान शुल्क/दंडात्मक शुल्क और ऐसे अन्य शुल्क का भुगतान करूंगा/करूंगी। गैर-वापसीयोग्य प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान किया जाएगा, भले ही मैं ऋण न लेने का विकल्प चुनूं। मैं लागू दस्तावेज़ीकरण शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, चेक/ए.सी.एच./एस.आई. रिटर्न शुल्क और मंजूरी पत्र में उल्लिखित ऐसे सभी शुल्कों का भी भुगतान करूंगा/करूंगी। मैं गोल्ड सिक्योरिटी के मूल्य में गिरावट के कारण मार्जिन/ऋण-मूल्य अनुपात में किसी भी कमी को कम करने के लिए बैंक को मेरे किसी भी खाते से डेबिट करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ।

14) यदि बैंक मुझे गोल्ड सिक्योरिटी स्वीकार करते हुए कोई रसीद जारी करता है, और रसीद जारी होने के बाद खो जाती है/उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है, तो बैंक डुप्लिकेट रसीद जारी करने या गोल्ड सिक्योरिटी जारी करने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक मैं बैंक द्वारा अपेक्षित क्षतिपूर्ति/अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के अलावा बैंक द्वारा निर्धारित ऐसे शुल्कों का भुगतान नहीं करता/करती।

15) मुझे पता है कि आंशिक भुगतान और/या प्री-क्लोजर की स्वीकृति बैंक के विवेक पर छोड़ दी गई है, और मैं समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त नियमों और शर्तों से भी बंधा रहूंगा/रहूंगी।

16) मैं निरंतर आधार पर प्रतिनिधित्व और आश्वासन देता हूं कि: (i) मैं ऋण की पूरी अवधि के दौरान बैंक द्वारा निर्धारित मार्जिन/ऋण-से-मूल्य अनुपात बनाए रखूंगा और यदि कोई नीचे की ओर भिन्नता है, तो मैं बैंक की संतुष्टि के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करूंगा या बैंक द्वारा जारी ऐसी सलाह का अनुपालन करूंगा/करूंगी, (ii) मैं भारत का/की नागरिक हूँ, (iii) मैंने ऋण के तहत दायित्वों के निष्पादन और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्य किए हैं और मेरे पास सभी अनुमतियां हैं, (iv) मेरे या मेरी संपत्ति के खिलाफ कोई भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही (दिवालिया कार्यवाही सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) समाप्त या शुरू नहीं हुई है या लंबित नहीं है या खतरा नहीं है, (v) लिखित रूप में बताई गई सीमा को छोड़कर, मैं बैंक या किसी अन्य बैंक का निदेशक या निदेशक का रिश्तेदार या वरिष्ठ अधिकारी या बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी का/की रिश्तेदार नहीं हूँ, और न ही बैंक के किसी निदेशक या कर्मचारी या वरिष्ठ अधिकारी या उनके रिश्तेदार की मेरे द्वारा की गई गतिविधियों में कोई महत्वपूर्ण रुचि है। साथ ही, मैं बैंक/अन्य बैंकों द्वारा स्थापित म्यूचुअल फंड/उद्यम पूंजी कोष की सहायक कंपनियों/न्यासियों के निदेशक का रिश्तेदार नहीं हूँ, (vi) मैं डिफॉल्टर/ऐच्छिक डिफॉल्टर नहीं हूँ या डिफॉल्टर/ऐच्छिक डिफॉल्टर घोषित करने के लिए किसी कार्यवाही का सामना नहीं कर रहा/रही हूँ और यदि कोई ऋणदाता मुझे जानबूझकर डिफॉल्टर घोषित करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू करता है या धमकी देता है, तो बैंक को मेरे खिलाफ उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा, (vii) मैं ऋण के अंतिम उपयोग के संबंध में बैंक द्वारा निर्धारित फॉर्म, मोड और तरीके से एक प्रमाणीकरण बैंक को प्रस्तुत करूंगा/करूंगी, और यदि ऐसा प्रमाणीकरण गलत पाया जाता है, तो बैंक को मेरे खिलाफ उचित उपाय (आपराधिक कार्रवाई सहित) करने का अधिकार होगा, (viii) जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया गया है वह अवैध, सट्टेबाजी या नापाक नहीं है, (ix) जमा करने के लिए प्रस्तावित गोल्ड सिक्योरिटी मेरे द्वारा वास्तविक स्रोतों से अर्जित की गई है और यह मेरी वास्तविक संपत्ति है, और इस पर मेरा अधिकार किसी भी तरह से चोरी या दोषपूर्ण/चुनौती का विषय नहीं है और न ही किसी व्यक्ति के पास इसके खिलाफ कोई दावा, ग्रहणाधिकार या आरोप है, (x) गोल्ड सिक्योरिटी किसी लंबित या खतरे वाली जांच का विषय वस्तु नहीं है।

संस्करण_जनवरी 24

17) निम्नलिखित में से किसी भी घटना का घटित होना डिफॉल्ट की घटना होगी ("डिफॉल्ट की घटना"): (i) नियत दिनांक/परिपक्वता पर ऋण के तहत राशि का भुगतान न करना, (ii) नियत दिनांक से पहले ए.सी.एच./एस.आई. का नवीनीकरण न करना, (iii) किसी भी नियम और शर्त का उल्लंघन, (iv) बैंक को दी गई जानकारी/अभ्यावेदन/घोषणाओं का झूठा, भ्रामक या गलत पाया जाना, (v) मेरे द्वारा बैंक, किसी बैंक और/या वित्तीय संस्थान और/या अन्य लेनदारों के साथ किए गए किसी क्रेडिट सुविधा समझौते के तहत कोई चूक, या तो ऋण दस्तावेजों के तहत या इसके विपरीत, (vi) मुझे दिवालिया या ऐच्छिक डिफॉल्टकर्ता घोषित करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू करना या धमकी देना या उसके तहत मेरे खिलाफ कोई आदेश पारित करना, (vii) मेरी मृत्यु, दिवालियापन, व्यापार में विफलता या दिवालियापन, (viii) मेरे या गोल्ड सिक्योरिटी के खिलाफ कोई कुर्की, संकट, निष्पादन या अन्य प्रक्रिया, (ix) बैंक की पूर्व सहमति के बिना, गोल्ड सिक्योरिटी पर कोई भार या शुल्क या ग्रहणाधिकार बनाने की कोई भी घटना या प्रयास, (x) गोल्ड सिक्योरिटी के मूल्य में गिरावट, (xi) धोखाधड़ी की खोज/संदिग्धता, गोल्ड सिक्योरिटी की शुद्धता या स्वामित्व के संबंध में संदेह, या (xii) किसी ऐसी परिस्थिति का होना, जो बैंक की राय में, बैंक के हित को खतरे में डालती है। उपरोक्त किसी भी घटना के घटित होने के संबंध में निर्णय लेने के लिए बैंक एकमात्र प्राधिकारी होगा और मैं बैंक की राय/निर्णय से बाध्य रहूंगा/रहूंगी। मुझे पता है कि अग्रिमों से संबंधित आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए केवल देय दिनांक/चुकौती दिनांक (जैसा कि मंजूरी पत्र या ऐसे अन्य संचार के माध्यम से मुझे सूचित किया गया था) को माना जाएगा, भले ही बैंक ने अपने विवेक से ऋण और उसके तहत बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए अनुग्रह अवधि (यदि कोई हो) दी है या नहीं। मुझे यह भी पता है कि विशेष उल्लेख खाता ("एस.एम.ए.") श्रेणियों के रूप में ऋण के वर्गीकरण का आधार इस प्रकार होगा (आर.बी.आई. द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अधीन):

एस.एम.ए. उप-श्रेणियां	वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय
एस.एम.ए.-0	30 (तीस) दिन तक
एस.एम.ए.-1	30 (तीस) दिन से अधिक और 60 (साठ) दिन तक
एस.एम.ए.-2	60 (साठ) दिन से अधिक और 90 (नब्बे) दिन तक

ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ("एन.पी.ए.") के रूप में वर्गीकृत करने का आधार इस प्रकार होगा (समय-समय पर आर.बी.आई. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन): ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 (नब्बे) दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय है। [बैंक नियत दिनांक या पुनर्भुगतान दिनांक (जैसा कि मंजूरी पत्र या बैंक से अन्य संचार में निर्दिष्ट है) पर दिन की समाप्ति प्रक्रिया के दौरान ऋण खाते को अतिदेय के रूप में चिह्नित करेगा, भले ही यह प्रक्रिया कब चल रही हो। ऋण खाते का एस.एम.ए. के साथ-साथ एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकरण प्रासंगिक दिनांक के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाएगा। एस.एम.ए. या एन.पी.ए. वर्गीकरण दिनांक वह कैलेंडर दिनांक होगी जिसके लिए दिन समाप्ति प्रक्रिया चलाई जाती है।]

18) डिफॉल्ट की घटना घटित होने पर, बैंक, लागू कानूनों के तहत या अन्यथा किसी भी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना: (क) मुझे 7 (सात) दिनों का लिखित नोटिस जारी करके घोषित कर सकता है कि ऋण, साथ में सभी अर्जित ब्याज और शुल्क तुरंत देय हैं; और/या (ख) बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निजी संधि या सार्वजनिक नीलामी (खुले बाजार की नीलामी सहित) या किसी अन्य माध्यम से गोल्ड सिक्योरिटी बेच सकता है। ऐसा मुझे 7 (सात) व्यावसायिक दिनों का नोटिस, या बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य अवधि प्रदान करने के बाद किया जाएगा, जिसे मैं स्वीकार करता/करती हूँ और सहमत हूँ कि यह अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 176 के प्रयोजन के लिए एक उचित अवधि है। यदि इस प्रकार प्राप्त आय ऋण के तहत बकाया राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, तो बैंक शेष राशि की प्राप्ति के लिए मेरे और/या मेरी संपत्ति के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर सकता है। बैंक किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले गोल्ड सिक्योरिटी बेचने के उपाय को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं होगा, और बैंक ऐसी कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है, चाहे अन्य उपायों से पहले, साथ ही या बाद में। बैंक अपने प्रतिनिधियों, नौकरों, अधिकारियों, एजेंटों, तीसरे पक्ष/रिकवरी एजेंटों, और/या बैंक द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति (बाद में "प्रतिनिधि" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से अपने उपचार का प्रयोग कर सकता है। बैंक ऋण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्तियों को प्रतिनिधि को सौंप सकता है, जिसमें मुझसे या मेरे उत्तराधिकारियों से सभी बकाया और अन्य बकाया राशि एकत्र करने और प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है। प्रतिनिधि को नोटिस भेजने, मुझसे या मेरे उत्तराधिकारियों से संपर्क करने, नकद, चेक, ड्राफ्ट, जनादेश आदि प्राप्त करने सहित सभी वैध कृत्यों, कार्यों, मामलों और इससे संबंधित और प्रासंगिक चीज़ों को निष्पादित करने और वैध तथा प्रभावी रसीदें और डिस्चार्ज प्रदान करने का भी अधिकार है। उपरोक्त उद्देश्यों के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, बैंक के विवेक पर, बैंक प्रतिनिधियों को मेरे और ऋण से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा करने का हकदार होगा। उपरोक्त के बावजूद, बैंक (और/या ऐसा कोई तीसरा पक्ष) किसी भी तीसरे पक्ष (मेरे परिवार के सदस्यों सहित) से संपर्क कर सकता है और मेरे और ऋण से संबंधित सभी आवश्यक या प्रासंगिक जानकारी का खुलासा कर सकता है। मुझे पता है कि मुझे किसी भी समय बैंक के इस अधिकार से असहमत होने का अधिकार होगा, और यदि मैं बैंक को इस संबंध में अग्रिम रूप से लिखित रूप में अपेक्षित अनुरोध भेजता/भेजती हूँ, तो बैंक ऐसे अनुरोधों पर विचार करेगा।

19) मुझे पता है कि बैंक मेरे द्वारा बैंक को दिए गए सभी बकाया के भुगतान के 30 (तीस) दिनों के भीतर उस शाखा के माध्यम से गोल्ड सिक्योरिटी जारी करेगा जहाँ से मैंने ऋण लिया है, और मुझे इसे अपनी जिम्मेदारी पर एकत्र करना होगा, अन्यथा मैं बैंक द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य हूँ। गोल्ड सिक्योरिटी वापस पाने में मेरी ओर से हुई किसी भी देरी के लिए और/या ऋण बंद होने के बाद भी बैंक के पास गोल्ड सिक्योरिटी पड़ी रहने के कारण मुझे या मेरे अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को हुई किसी भी हानि के लिए मैं बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराऊंगी। बैंक ऋण खाता बंद होने के बाद गोल्ड सिक्योरिटी मुझे या मेरे वैध उत्तराधिकारियों/मेरी मृत्यु की स्थिति में मेरे द्वारा नियुक्त नॉमिनी को सौंप सकता है।

20) लागू कानून या अन्यथा के तहत बैंक को उपलब्ध किसी भी सामान्य ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ के अधिकार या समान अधिकारों के अलावा, बैंक किसी भी समय और मुझे बिना किसी सूचना के, मेरे सभी या किसी भी जमा खाते को संयोजित या समेकित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंक को ऋण के तहत या अन्यथा - चाहे वास्तविक हो या आकस्मिक, प्राथमिक या संपार्श्विक, और संयुक्त या कई - मेरी किसी भी देनदारी को पूरा करने के लिए किसी भी राशि या रकम को सेट-ऑफ या हस्तांतरित करने का अधिकार है। बैंक मेरे द्वारा बैंक में रखे गए किसी भी अन्य खाते के संबंध में बकाया राशि या देय राशि के संबंध में किसी भी गोल्ड सिक्योरिटी पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर सकता है।

21) मैं समझता/समझती हूँ कि मेरे पास अपने व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, उपयोग और प्रसंस्करण के संबंध में कुछ निश्चित अधिकार हैं। ये अधिकार पुष्टि और पहुंच, सुधार और मिटाने, प्रकटीकरण की आपत्ति और व्यक्तिगत डेटा की पोर्टेबिलिटी से संबंधित हैं, और ये अधिकार मुझे बैंक की संबंधित गोपनीयता नीतियों में निर्धारित तरीके से उपलब्ध हैं, जो प्रासंगिक डेटा गोपनीयता कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए हैं। मैंने बैंक की प्रासंगिक दिशानिर्देशों को पढ़ा है (या मुझे समझाया गया है), और मैंने उनकी सामग्री को समझ लिया है। मुझे पता है कि आवश्यकता होने पर मैं बैंक से एक प्रति प्राप्त कर सकता/सकती हूँ। मैं समझता/समझती हूँ कि मेरा व्यक्तिगत डेटा केवल मेरी वैध सहमति से ही बैंक द्वारा एकत्र किया जा सकता है, और इसका उपयोग या प्रसंस्करण केवल बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार ही किया जा सकता है। बैंक मुझसे या मेरे खाते/खातों से संबंधित किसी भी या सभी जानकारी और डेटा का आदान-प्रदान, साझा करने, खुलासा करने या अलग करने के लिए अधिकृत है। इसमें व्यक्तिगत संवेदनशील डेटा/जानकारी और कोई भी अन्य जानकारी शामिल है जिसके लिए प्रासंगिक कानून/नियमों के लागू प्रावधानों के तहत सहमति की आवश्यकता होती है। बैंक इस जानकारी को वैधानिक/नियामक निकायों, वित्तीय संस्थानों, क्रेडिट ब्यूरो/एजेंसियों, बैंक की मूल/सहायक/संबद्ध/सहयोगी, या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य तीसरे पक्षों के साथ साझा कर सकता है। ऐसा साझाकरण कानून, नियमों या विनियमों द्वारा आवश्यक या अनुमति के अनुसार या बैंक के व्यावसायिक संबंधों के लिए आवश्यक होने पर किया जाता है। मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि बैंक और उसके एजेंट/प्रतिनिधि/कर्मचारी इस जानकारी का उपयोग करने या साझा करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। मैं बैंक को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ('संहिता') की धारा 3(13) में परिभाषित 'वित्तीय जानकारी' का खुलासा करने और जमा करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ। इसमें मेरे द्वारा बैंक से प्राप्त क्रेडिट/वित्तीय सुविधाओं से संबंधित जानकारी शामिल है। संहिता की धारा 3(21) में परिभाषित अनुसार खुलासा किसी भी 'सूचना उपयोगिता' (आई.यू.) को किया जाएगा। बैंक संहिता के तहत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों और भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश का पालन करेगा। इसके अतिरिक्त, मैं संबंधित आई.यू. द्वारा अनुरोध किए जाने पर बैंक द्वारा प्रस्तुत किसी भी वित्तीय जानकारी को तुरंत प्रमाणित करने के लिए सहमत हूँ।

22) मुझे पता है कि मैं ऋण दस्तावेजों के तहत अपने अधिकारों और/या दायित्वों को किसी को हस्तांतरित/सौंपने का/की हकदार नहीं हूँ। हालांकि, बैंक के पास मुझे सूचित किए बिना, ऋण के तहत बकाया राशि से संबंधित अपने अधिकारों और दायित्वों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्थानांतरित करने या सौंपने का विवेक है। यह स्थानांतरण या असाइनमेंट किसी भी इकाई को किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंक 'भागीदार बैंकों' के रूप में एक या अधिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने अधिकारों और दायित्वों को हस्तांतरित करने या सौंपने का अधिकार रखता है। यह प्रक्रिया अंतर बैंक भागीदारी को नियंत्रित करने वाली समान संहिता, 1988 (या इसके संशोधन) के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि मैंने यह जानकारी पढ़ और समझ ली है। यह भागीदारी किसी भी तरह से ऋण के संबंध में मेरे और बैंक के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी। मैं ऐसे किसी भी भागीदार बैंक के साथ अनुबंध की गोपनीयता का दावा नहीं करूंगा/करूंगी, और मैं ऐसे असाइनमेंट के बावजूद नियम और शर्तों (नियम और शर्तों) से बंधा रहूंगा/रहूंगी। इसके अतिरिक्त, मैं इस बात से सहमत हूँ कि असाइनमेंट प्रभावी होने पर समनुदेशिती को ऋण में ब्याज प्राप्त होगा।

23) यहाँ या मेरे द्वारा दिए गए किसी भी अन्य दस्तावेज या निर्देशों में किसी भी बात के बावजूद, ऋण के पुनर्भुगतान के लिए बैंक द्वारा प्राप्त, प्राप्त या वसूल की गई राशि को मेरे द्वारा देय राशि के लिए उस तरीके से विनियोजित किया जा सकता है, जो बैंक अपने पूर्ण विवेक पर उचित समझे।

24) मैं स्पष्ट रूप से सहमत हूँ कि ऋण या किसी भी संबंधित दस्तावेज़ से उत्पन्न होने वाले या संबंधित सभी विवाद, जिसमें पार्टियों के अधिकार, कर्तव्य और देनदारियां शामिल हैं, उस शहर या स्थान पर अदालतों या न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे जहाँ ऋण खाता कायम रखने वाली बैंक शाखा स्थित है। परिणामस्वरूप, कोई भी कानूनी कार्रवाई, मुकदमा या कार्यवाही उन अदालतों या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरणों में लाई जा सकती है। बशर्ते कि बैंक किसी अन्य स्थान पर सक्षम क्षेत्राधिकार वाली किसी अन्य अदालत में इसे आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत हो और मैं अपरिवर्तनीय रूप से उन अदालतों/न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करता हूँ। मैं सहमत हूँ और स्वीकार करता/करती हूँ कि सभी ऋण दस्तावेज और नियम एवं शर्तें भारतीय कानूनों के अनुसार शासित और समझी जाएंगी।

25) कोई भी नोटिस या अनुरोध या संचार लिखित रूप में किया जाएगा और बैंक की संबंधित शाखा को भेजा जाएगा। बैंक मुझे किसी भी तरीके से नोटिस/अनुरोध/संचार (यदि कोई हो) भेज सकता है जिसे बैंक उपयुक्त और उचित समझें (अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से) और उसे मुझे प्राप्त हुआ माना जाएगा: (i) यदि डाक द्वारा दिया गया है, तो 2 (दो) दिनों की समाप्ति पर उसे डाकघर में वितरित कर दिया जाएगा, और (ii) यदि व्यक्तिगत रूप से वितरित किया गया है, तो मेरे पते पर छोड़ा गया है और बैंक के एक अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र जिसने ऐसा नोटिस या संचार भेजा है कि यह इस प्रकार दिया गया था या बनाया गया था, वह अंतिम, निर्णायक और मुझ पर बाध्यकारी होगा।

26) यदि प्रस्तुत विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो मैं ऐसे परिवर्तन के बारे में समर्थन प्रमाण के साथ 2 (दो) सप्ताह के भीतर बैंक को लिखित रूप में सूचित करूंगा/करूंगी, और तब तक बैंक ऋण के संबंध में प्रस्तुत की गई जानकारी को पहचानने के लिए अधिकृत है।

27) मैं सहमत हूँ कि: (i) चोरी, आग, प्राकृतिक आपदा, अप्रत्याशित घटना, दैवीय कृत्य, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, या बैंक के नियंत्रण से परे अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण गोल्ड सिक्योरिटी के नुकसान या क्षति की स्थिति में बैंक का दायित्व बीमाकर्ता से प्राप्त बीमा दावे की आनुपातिक राशि तक सीमित होगा। (ii) मैं इन नियमों और शर्तों और अन्य ऋण दस्तावेजों की स्वीकृति, वितरण, प्रदर्शन, या

प्रवर्तन से जुड़े सभी वर्तमान और भविष्य के स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और समान करों या शुल्कों को वहन और भुगतान करूंगा/करूंगी। इसके अतिरिक्त, मैं किसी भी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, या समान करों या शुल्कों के भुगतान में देरी या चूक के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी और सभी नुकसान, लागत, शुल्क, व्यय और दंड सहित देनदारियों के खिलाफ हर समय बैंक को क्षतिपूर्ति दूंगा/दूंगी।

28) डी.एन.डी./एन.डी.एन.सी./एन.सी.पी.आर. सहमतिः मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी साझा करके (और मोबाइल नंबर और/या ई-मेल आईडी में यदि कोई बदलाव हो तो उसके बारे में बैंक को सूचित करके), मैं प्रमाणित, साबित और प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ कि दिया गया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेरे विशेष उपयोग और अधिकार के अंतर्गत हैं, और ये किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित नहीं हैं और न ही उनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, मैं प्रचारात्मक या सूचनात्मक या मार्केटिंग गतिविधियों के लिए दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एस.एम.एस., इंस्टेंट मैसेजिंग और संचार के अन्य तरीकों के माध्यम से संचार प्राप्त करने के लिए सहमति देता/देती हूँ, जिसमें व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म, बैंक, उसके एजेंटों, अधिकृत प्रतिनिधियों, सहयोगियों से टेलीफोन कॉल (पूर्व-रिकॉर्ड की गई और/या कृत्रिम आवाज और/या ऑटो-डायल और/या वॉयस-ओवर-आईपी सेवा) शामिल हैं। मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरे पास प्राप्तकर्ता के रूप में मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर संदेश और कॉल प्राप्त करने का अधिकार है। मैं एन.डी.एन.सी./एन.सी.पी.आर. में अपने संपर्क नंबर को अपंजीकृत करने और अपने संपर्क नंबर की डी.एन.डी. स्थिति को निष्क्रिय/अपंजीकृत करने के लिए भी सहमति देता हूं। मैं जानता/जानती हूँ कि डी.एन.डी./एन.डी.एन.सी. का पंजीकरण रद्द करने के बाद, मुझे अनुरोध की सत्यता को सत्यापित करने के लिए कॉल प्राप्त हो सकती है। मैं इस बात से भी अवगत हूँ कि बैंक द्वारा डी.एन.डी./एन.डी.एन.सी. स्थिति को निष्क्रिय/अपंजीकृत किए जाने के बाद, मुझे अपने विवेक पर किसी भी समय डी.एन.डी./एन.डी.एन.सी. के लिए पुनः पंजीकरण करने का अधिकार और विकल्प है। मैं बैंक, उसके एजेंटों, अधिकृत प्रतिनिधियों, सहयोगियों को टेलीफोन/मोबाइल/एस.एम.एस./ईमेल के माध्यम से लेन-देन, प्रचार के साथ-साथ सेवा संबंधी कॉल या संदेशों के लिए मुझसे संपर्क करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ।

29) क्रेडिट ब्यूरो जाँच के लिए सहमतिः (क) मेरे वित्तीय अनुशासन का आकलन करना और आर.बी.आई./बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई शुरू करने के लिए, (ख) बैंक को मुझे आगे/अतिरिक्त ऋण देने पर विचार करने में सक्षम बनाने के लिए, और (ग) मौजूदा ऋण को कम/बढ़ाने/रोलओवर/संशोधित करने के लिए, बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर, मैं बैंक को क्रेडिट सूचना कंपनियों या ऐसे अन्य रिपॉजिटरी के डेटाबेस को कितनी भी बार एक्सेस करने के लिए विशिष्ट सहमति देता/देती हूँ। मैं अपनी/हमारी क्रेडिट जानकारी प्राप्त करने के लिए सी.आई.सी. या अन्य रिपॉजिटरी के डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए बैंक या उसके अधिकारियों के खिलाफ किसी भी समय कोई आपत्ति, विवाद या दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

30) सोने के सत्यापन/परीक्षण के लिए सहमतिः मैं जानता/जानती हूँ और स्वीकार करता/करती हूँ कि, जिस ऋण के लिए मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ, उसके लिए मेरी पात्रता का आकलन करने के हिस्से के रूप में, बैंक मेरे द्वारा जमा किए गए सोने के आभूषणों की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनका परीक्षण और सत्यापन करेगा। मैं बैंक को स्पष्ट रूप से सहमति देता/देती हूँ कि मेरे द्वारा बैंक में जमा किए जाने वाले सोने के आभूषणों की शुद्धता और गुणवत्ता का परीक्षण/सत्यापन बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी एक या अधिक मान्यता प्राप्त सोने के परीक्षण/सत्यापन तरीकों को अपनाकर किया जाए। सोने के आभूषणों की शुद्धता और/या गुणवत्ता के सत्यापन/पुनः सत्यापन या पुष्टि/पुनः पुष्टि के साथ ही किसी भी ऑडिट उद्देश्य के लिए मैं बैंक को वह सीलबंद पैकेट को खोलने के लिए भी अधिकृत करता/करती हूँ, जिसमें मेरे द्वारा सोने के आभूषण जमा किए जा रहे हैं। मैं किसी भी समय बैंक द्वारा किए गए परीक्षण/सत्यापन के संबंध में या उसके कारण हुई क्षति/रंग खराब होने (यदि कोई हो) के संबंध में बैंक या उसके अधिकारियों के खिलाफ कोई आपत्ति या विवाद या दावा नहीं उठाऊंगा/उठाऊंगी।

31) केंद्रीय के.वाई.सी.: मैं बैंक को केंद्रीय के.वाई.सी. रजिस्ट्री पर यहाँ ऊपर दिए गए विवरण अपलोड करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ। मैं बैंक को मेरे द्वारा प्रस्तुत के.वाई.सी. संख्या के आधार पर केंद्रीय के.वाई.सी. रजिस्ट्री से मेरे के.वाई.सी. विवरण डाउनलोड करने के लिए भी अधिकृत करता/करती हूँ। मैं केंद्रीय के.वाई.सी. रजिस्ट्री से उक्त मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी पर एस.एम.एस./ई-मेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए भी सहमति देता/देती हूँ।

○	यहां दी गई प्रत्येक जानकारी सभी पहलुओं में सत्य और पूर्ण है, और मैं प्रत्येक जानकारी की सत्यता की पुष्टि करता/करती हूँ। मैं बैंक के अनुरोध पर, ऐसे और दस्तावेज़, सूचना, मामले और चीज़ें प्रस्तुत करूंगा/करूंगी, जिन्हें बैंक आवश्यक समझ सकता है। मेरी ओर से किसी लापरवाही/गलती के परिणामस्वरूप या लागू नियमों और विनियमों और/या नियम एवं शर्तों का मेरे द्वारा गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप, या बैंक को मुझसे संबंधित कोई गलत या अधूरी जानकारी प्रदान करने के परिणामस्वरूप, मैं बैंक, उसके सहयोगियों, नियुक्त उत्तराधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को हर समय, सभी कार्यों, मांगों, हानियों, लागत और खर्चों से, जो भी बैंक किसी भी समय वहन कर सकता है या उठा सकता है, उनकी क्षतिपूर्ति करूंगा/करूंगी और क्षतिपूर्ति करता रहूंगा/रहूंगी।
○	मैं इसके द्वारा स्वेच्छा से बैंक या उसके ऑपरेटरों को अपने आधार डेटा, पहचान जानकारी, आधार कार्ड की भौतिक प्रति, भौतिक ई-आधार, मास्क किए गए आधार, वर्चुअल आईडी, या ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक आधार XML का उपयोग करने की सहमति देता हूँ, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा आधार-आधारित ई-के.वाई.सी. प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ओ.टी.पी. प्रमाणीकरण, चेहरा प्रमाणीकरण, या यू.आई.डी.ए.आई. के साथ आईरिस प्रमाणीकरण करने के लिए जारी किया जाता है, ताकि यू.आई.डी.ए.आई. दिशानिर्देशों या समय-समय पर प्रचलित अधिनियमों या कानूनों के अनुसार, बैंक के साथ निर्देशों को संसाधित करने या आवेदन किया गया ऋण सुविधाएं प्रदान करने और/या ऋण के संबंध में खाता खोलने और/या मेरे द्वारा ऋण लेन-देन से संबंधित लागू दस्तावेज़ों पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से लागू कानूनों/विनियमों के प्रावधानों के तहत मेरी पहचान सत्यापित की जा सके। मैं समझता/समझती हूँ कि मेरा आधार डेटा, पहचान की जानकारी, आधार कार्ड की भौतिक प्रति, भौतिक ई-आधार, मास्क किया गया आधार, वर्चुअल आईडी, या ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक आधार XML बैंक द्वारा कानूनी, नियामक और सर्वोत्तम अभ्यास व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार संग्रहीत किया जाएगा। मुझे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उपलब्ध अन्य तरीकों के बारे में पता है, यानी आधार का ऑफलाइन सत्यापन, पासपोर्ट का उपयोग या कोई अन्य आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ (ओ.वी.डी.)। पहचान की जानकारी एकत्र करने की सहमति और उद्देश्य मुझे मेरी ज्ञात स्थानीय भाषा में समझाए गए हैं।

मैं पुष्टि करता हूं कि मैंने श्री/सुश्री ______________________________ द्वारा __________________________ (स्थानीय भाषा) में ऋण पर लागू नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है (या पढ़ कर सुनाया गया है) और मैं इसे पूरी तरह से समझता/समझती हूँ, स्वीकार करताकरती हूँ, पावती देता/देती हूँ और इससे सहमत हूँ। मुझे बैंक अधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि जब तक मैं ऋण पर लागू नियमों और शर्तों को समझ नहीं लेता/लेती और आश्वस्त नहीं हो जाता/जाती, तब तक मैं इस दस्तावेज़ को स्वीकार करने/पावती देने/सहमत होने/हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं हूं। इसके बाद ही मैं अपना हस्ताक्षर कर रहा/रही हूँ।

हस्ताक्षर
दिनांक:
स्थान: